

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या :- 85/2014

1. सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

-- वादी

--:: बनाम ::--

1. सुभाष चन्द्र पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार साकिन 6 एल.एन.पी.

-- प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. परौकार राज | वादी |
| 2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता | प्रतिवादी संख्या 1 |

-- :: निर्णय ::--

दिनांक :- 30.05.2017

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3/.013 हैक्टर रकबा खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खातेदारी भूमि चक चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3/.013 हैक्टर नहरी रकबा का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़के, आवासीय मकान एवम् प्लाट काटकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है।

उक्त आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3/.013 हैक्टर रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 6 एल.एन.पी. अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है।

वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी की प्रति सलंगन की है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। विधिवत तामिल नहीं होने के पश्चात उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 12.12.2012 के द्वारा

विवादास्पद भूमि चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3/.013 हैक्टर भूमि को बहक सरकार घोषित किया गया।

उक्त निर्णय को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.06.2014 के द्वारा निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया।

प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की ओर से श्री मोहनलाल माहर उपस्थित आये अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश नहीं किया गया पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से पाया गया कि भूमि चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3/.013 हैक्टर भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अकृषि कार्य किया जा रहा है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 6 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3/.013 हैक्टर भूमि को को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिनांक 30.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दौलतपुरा में मजमे आम सुनाया गया।



(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर